न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं०–1/ विशेष न्यायाधीश (एन०डी०पी०एस० एक्ट), फतेहपुर।

प्रकीर्ण वाद संख्या– 210/2026
CNR No.– UPFT0100265342026
समबन्धित सत्र परीक्षण संख्या–08/2023, 1384/2022, 1397/2022, 8457/2025, 1128/2024, 1370/24, 1290/2025, 1051/2025 व 05/2026
धारा–8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट
थाना–राधानगर, जिला फतेहपुर।

06.06.2026

प्रकीर्ण वाद की पत्रावली पेश हुई।

प्रभारी निरीक्षक थाना राधानगर, जनपद फतेहपुर की ओर से इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया गया है कि थाना स्थानीय पर एन०डी०पी०एस० एक्ट से सम्बन्धित अभियोग मुकदमा अपराध संख्या–12/2022 सत्र परीक्षण वाद संख्या–08/2022 से सम्बन्धित कुल माल नाजायज गांजा 01 किलो 200 ग्राम, मुकदमा अपराध संख्या–16/2022 सत्र परीक्षण वाद संख्या–1384/2022 से सम्बन्धित कुल माल नाजायज गांजा 02 किलो 100 ग्राम, मुकदमा अपराध संख्या–17/2022 सत्र परीक्षण वाद संख्या–1397/2022 से सम्बन्धित कुल माल नाजायज गांजा 03 किलो 150 ग्राम, मुकदमा अपराध संख्या–08/2024 सत्र परीक्षण वाद संख्या–8457/2025 से सम्बन्धित कुल माल नाजायज गांजा 750 ग्राम, मुकदमा अपराध संख्या–53/2024 सत्र परीक्षण वाद संख्या–1128/2024 से सम्बन्धित कुल माल नाजायज गांजा 01 किलो 200 ग्राम व मुकदमा अपराध संख्या–68/2024 सत्र परीक्षण वाद संख्या–1370/2024 से सम्बन्धित कुल माल नाजायज गांजा 01 किलो 200 ग्राम, मुकदमा अपराध संख्या–02/2025 सत्र परीक्षण वाद संख्या–1290/2025 से सम्बन्धित कुल माल नाजायज गांजा 01 किलो 100 ग्राम, मुकदमा अपराध संख्या–05/2025 सत्र परीक्षण वाद संख्या–1051/2025 से सम्बन्धित कुल माल नाजायज गांजा 01 किलो 200 ग्राम व मुकदमा अपराध संख्या–62/2025 सत्र परीक्षण वाद संख्या–05/2026 से सम्बन्धित कुल माल नाजायज गांजा 01 किलो 100 ग्राम है। जो थाना स्थानीय के प्रशासनिक भवन में बने माल गृह मे रखा हुआ है। उक्त बरामद शुदा माल का विधि विज्ञान प्रयोगशाला से परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त हो चुका है। स्वापक औषधि एवं मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 52 (क) की उपधारा 3 के तहत उक्त अधिनियम की धारा 52 (क) की उपधारा (1) के अनुसार धारा 52 (क) की उपधारा 4 के अनुसार इसका निपटान किये जाने हेतु इन्चेन्ट्री की शुद्धता को प्रमाणित करने तथा आपकी उपस्थित में जब्त की गयी वस्तुओं की तस्वीर लेने व प्रतिनिधि द्वारा नमूना लेने की अनुमति तथा तैयार किये नमूने की सत्यता को प्रमाणित करने की कृपा की जाये, जिससे मालो का निपटान किया जा सके, और इसका प्रमाण पत्र तस्वीरो व प्रमाणो के रूप में अपने पास रखा जा सके।

प्रभारी निरीक्षक श्याम सुन्दर लाल श्रीवास्तव थाना राधानगर, जनपद फतेहपुर द्वारा इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया गया है कि सरकार ने स्वापक औषधि, मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की पारा 52 क के तहत सभी स्वापक औषधि, मनःप्रभावी पदार्थ, प्रतिबंधित पदार्थ की इस रूप में पहचान कर ली है, जो चोरी और प्रतिस्थापन की दृष्टि से असुरक्षित है। स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 52 क की उप–धारा (2) के तहत आवश्यक के रूप में, मैं जब्त सामग्री की संलग्न सूची प्रस्तुत करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि–(ए) इन्वेंट्री की शुद्धता को प्रमाणित करने की कृपा करे। (बी) आपकी उपस्थिति में, सूची में जब्त की गई वस्तुओं की तस्वीर लेने की अनुमति देने की कृपा करे और ऐसी तस्वीरों को सत्य के रूप में प्रमाणित करने की कृपा करे। (सी) अपनी उपस्थिति में प्रतिनिधि नमूने लेने की अनुमत्ति देने की कृपा करे और इस प्रकार तैयार किए गए नमूनों की सूची की सत्यता को प्रमाणित करने की कृपा करे। अनुरोध किया कि स्वापक औषधि एवं मनः

प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 52 क की उप–धारा (3) के तहत अनुमति देने की कृपा करे ताकि जब्त की गई मादक दवाओं, मनः प्रभावी पदार्थ, प्रतिबंधित पदार्थों का तत्पश्चात् उक्त अधिनियम की धारा 52 क की उप–धारा (1) के अनुसार धारा 52 क की उप–धारा (4) के अनुसार इसका निपटान किया जा सके और इसका प्रमाण पत्र, तस्वीरों और नमूनों को प्राथमिक साध्य के रूप में अपने पास रखा जा सके।

प्रार्थना पत्रों के साथ जब्त सामग्री की सूची व विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट की छायाप्रतियां प्रस्तुत की गई हैं।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की आख्या के अनुसार– न्यायालय के समक्ष समस्त बरामदशुदा माल की तौल की गई मात्रा सही पायी गई। न्यायालय के समक्ष उक्त सभी बरामदशुदा माल का नमूना लिया गया जिसे दौरान गवाही न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा।

सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की आख्या का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ जब्त सामग्री की सूची के अनुसार बरामद गांजा सील सर्वमोहर कर रखा हुआ है जो प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न सूची में वर्णित है। उपरोक्त माल के सम्बन्ध में विधि विज्ञान प्रयोगशाला की आख्याएं संलग्न हैं। माल विनिष्टीकरण के सम्बंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने Union of India Vs Mohanlal & Anr on 28 January 2016 में माल विनिष्टीकरण के सम्बंध में आवश्यक निर्देश पारित किये है एवं भारत सरकार द्वारा भी माल विनिष्टीकरण के सम्बंध में दिनांक–23.12.2022 को राज पत्र भी जारी किया गया है जिसमें भी माल निस्तारण एवं विनिष्टीकरण के दिशा–निर्देश दिये गये हैं। अतः उक्त सम्पूर्ण बरामदशुदा माल से नियमानुसार नमूना लेने तथा उसका फोटो एवं वीडियोग्राफी कराए जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

तदोपरांत माल का निस्तारण नियमानुसार किया जाए।

नियमानुसार निस्तारण के उपरान्त माल विनष्टीकरण के पश्चात् सम्बन्धित धानाध्यक्ष विनष्टीकरण की सूचना न्यायालय को अन्दर तीन दिवस अवगत कराना सुनिश्चित करें।

तदनुसार उक्त प्रकीर्ण वाद निस्तारित किया जाता है। इस आदेश की एक–एक प्रति सम्बन्धित पत्रावलियों के साथ संलग्न कर रखी जाए। न्यायालय के समक्ष उक्त समस्त बरामदशुदा माल का नमूना लिया गया जिसे दौरान गवाही न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए।

आदेश की प्रति सम्बन्धित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाए।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कक्ष सं०–01/विशेष न्यायाधीश,
(एन०डी०पी०एस०एक्ट), फतेहपुर।

दिनांक:06.06.2026